2023/61

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री शम्मी कुमार पुत्र श्री ढालूराम खत्री निवासी ए / 404 मईशा रेजीडेन्सी समा सावली रोड अम्बे स्कूल के पास, वेमाली बडोदरा।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 03 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.03.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 06.01.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 11.04.2022 को अपीलांट द्वारा प्रदूषण पर कार्यवाही हेतु निवेदन किया था, उस पर कार्यवाही कर किन–किन स्थल पर रोकथाम की या नोटिस दिया एवं नोटिस के बाद क्या कार्यवाही की, उसकी सूचना एवं प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 01 से 14 से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 06.01.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 11.04.2022 को अपीलांट द्वारा प्रदूषण पर कार्यवाही हेतु निवेदन किया था, उस पर कार्यवाही कर किन–किन स्थल पर रोकथाम की या नोटिस दिया एवं नोटिस के बाद क्या कार्यवाही की, उसकी सूचना एवं प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 01 से 14 से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 133 दिनांक 17.01.2023 के द्वारा अपीलांट को उक्त सूचना प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक / प.3(22)प्रसु / सू.अ.प्र. / 06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या तीन के अनुसार अपेक्षित नहीं होने सूचित कर दिया गया था। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2024.01.06 15:17:58 IST Reason: SelfAttested (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner